न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 07/2019

1. गुरजीत सिंह पुत्र जगरूप सिह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्री करणपुर।
2. सेवक सिंह पुत्र जगरूप सिह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्री करणपुर।
3. राजेन्द्र कौर पत्नि जगरूप सिह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्री करणपुर।

--प्रार्थीगण--

बनाम

1. बलजीत कौर पत्नि सुखदेव सिह जाति जटसिख निवासी 2 डब्ल्यू गुरूसर तहसील श्री करणपुर हाल निवासी चक खेमूआना पोस्ट ऑफिस खास तहसील गुनयाना जिला बठिण्डा पंजाब।

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) श्री करणपुर।

--अप्रार्थीगण --

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16.03.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण जरिए अधिवक्ता श्री सतीश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 2 डब्ल्यू गुरूसर के खाता संख्या 33/9 में अन्य रकबा के अलावा मु.न. 49 में किला न. 1,2,3,8,9,10,11,12,19,20,21,22 प्रत्येक सालम-सालम व किला न. 13/1 में 0.126 हैक्टर कुल 3.162 हैक्टर भूमि के खातेदार मालिक है। व खाता संख्या 20/18 के मु. न. 49 के किला न. 4,5,6,7,14,15,16,17,18,23,24,25 व किला न. 13/2 के 0.127 हैक्टर कुल 3.163 हैक्टर भूमि अप्रार्थी सख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के मु.न. 49 में आने जाने के लिए अप्रार्थीया की खातेदारी भूमि के मु.न. 49 के किला न. 5 व 4 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है, जो कि किला न. 5,4 के साथ सरकारी मंजूरशुदा रास्ता के साथ चिपता है। प्रार्थीगण किला न. 4 व 5 में रास्ता प्राप्त कर अपनी भूमि मु.न. 49 के किला न. 3 में प्रवेश कर अपनी भूमि की देखभाल कर सकता है। स्वीकृतशूदा रास्ता मु.न. 49 के किला न. 5,6,15,16,25 के साथ लगता हुआ है, जो सरकारी रास्ता काफी वर्षो से चल रहा है, जिसका गांव के काश्तकार अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए प्रयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए नाका किला न. 5 में स्थित होने से आड की जगह छोडकर अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा मु.न. 49 के किला न. 5 व 4 में से उतरी दिशा में रास्ते की आवश्यकता है, जिसको स्वीकृत करवाया जाना आवश्यक है, क्योंकि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मु.न. 49 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के लिए अप्रार्थी के मु. न.49 के किला न. 5 व 4 में रास्ता उपर्युक्त है, उसके अलावा अन्य कोई और रास्ता स्वीकृत नहीं हैं। प्रार्थीगण रास्ता में आने वाली भूमि का मुआवजा डीएलसी रेट से जमा करवाने के लिए तैयार है। अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा मु.न. 49 के किला न. 5 व 4 में से उतरी दिशा में आड की जगह को छोडकर 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना

आवश्यक है। प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि चक 2 डब्लयू गुरूसर के खाता संख्या 33/9 के मु.न. 49 के लिए अप्रार्थीया संख्या 1 के रकबा चक 2 डब्लयू गुरूसर के खाता संख्या 20/18 के मु.न. 49 के किला न. 5 व 4 में से उतरी दिशा में आड की जगह को छोडकर 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किए जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह उपस्थित आए, व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार यह कहना गलत है कि मु.न. 49 के किला न. 5,6,15,16,25 के साथ लगता स्वीकृत रास्ता हो, व प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिए नाका किला न. 5 में स्थित होने से आड की जगह छोडकर अप्रार्थीया के मु.न. 5 व 4 में से उतरी दिशा में रास्ता की आवश्यकता हो तथा प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि मुरब्बा न. 49 में आने जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नही हो। अतिरिक्त कथन के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा मुरब्बा नं. 49 के किला न. 5 व 4 में प्रस्तावित रास्ता को स्वीकृत करने की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में सही तथ्य इस प्रकार से है कि मु. न. 49 के साथ चिपता मु.न. 37 है। पटवारी हलका रिपोर्ट के अनुसार मु.न. 37 के किला न. 1 ता 25 की कुल 6.199 हैक्टर रकबा प्रार्थीगण का है। मु.न. 37 के उतर दिशा में किला न. 1 ता 5 के साथ-साथ सरकारी स्वीकृत रास्ता मौका पर चालू है। मु.न. 37 के उतर दिशा में भी आबादी है। जहां से प्रार्थीगण रवाना होकर अपने मुरब्बा न. 37 के किला न. 25 की पूर्वी दक्षिणी कूंट से होकर मु.न. 49 के किला न. 1 में प्रवेश करते है। मु.न 49 के किला न. 1 ता 12, 13 आधा प्रार्थीगण का है। इस कारण प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थीगण की आत्यातिंक आवश्यकता नहीं है, और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए है। मु.न. 49 व 37 चिपता हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही होगा क्योंकि चिपता रकबा के लिए अलग से नया रास्ता स्वीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आबादी से करीबन 6 मुरब्बा दूरी पर है। तथा मु.न. 37 का वैकल्पिक रास्ता महज 1 मुरब्बा दूरी पर है। प्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा न. 37 के किला न. 25 में नाजायज नाका बनाकर अपने मुरब्बा न. 49 के 12 बीघा 10 बिस्वा में नाजायज रूप से सिचाई पानी लगाया जाता है। जबकि मुरब्बा न. 49 की कृषि भूमि को सिचिंत करने हेतु मुरब्बा न. 49 के किला न. 5 में स्वीकृत नाका है। अप्रार्थीया अपने किला न. 5 व 4 में आड खाला बनाकर अपना रकबा सिचिंत करते है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा अपने मु.न. 49 के किला न. 1 ता 12 व 13 आधा में सिचाई हेतु किला न. 3,2,1 में आड खाला बनाया जाना चाहिए था। लेकिन प्रार्थीगण द्वारा आज तक मु.न. 49 के किला न. 5 में स्थित सरकारी नाका से अपना रकबा सिंचित नही किया गया। प्रार्थीगण मु.न. 37 के किला न. 25 में नाजायज नाका बनाकर भी मु.न. 49 के किला न. 1 में पानी प्रवेश कराते है। और इसी रास्ता से अपने रकबा में आते जाते है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या तथ्यों के आधार पर आधारित होने व तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट से विरोधाभासी होने से भारी शास्ति सहित अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे। तहसीलदार श्री करणपुर के पत्रांक राजस्व/ 2019/ 772 दिनांक 06.08.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थीगण का मुरब्बा न. 37 व 49 चिपता हुआ है। मु.न. 37 के किला न. 1 ता 5 मंजूरशूदा रास्ता चिपता हुआ है। प्रार्थी द्वारा मु.न. 49 के किला न. 4 व 5 से रास्ता चाहा गया है। जो कि बलजीत कौर

पत्नि सुखदेव सिंह के नाम दर्ज है। मु.न. 49 के साथ मु.न. 48 है जिसके किला न. 1,10,11,20,21 में मंजूर शूदा सडक है। प्रार्थी गुरजीत सिंह द्वारा मु.न. 49 के किला न. 4 व 5 में रास्ता देने के बदले में भूमि या रूपये देने को तैयार है।

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के द्वारा चक 2 डब्ल्यू गुरूसर के खाता संख्या 33/9 के मुरब्बा नम्बर 49 के किला न.1 ता 12 व 13 आधा में आने जाने के लिए अप्रार्थीया की कृषि भूमि चक 2 डब्लयू गुरूसर के खाता संख्या 20/18 के मु.न. 49 के किला न. 5 व 4 में से उतरी दिशा में आड की जगह को छोडकर 2 - 2 बिस्वा कुल 4 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किए जाने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीया के द्वारा अपने जवाब में निवेदन किया है कि मु.न. 37 की कुल 6.199 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की है, व मु.न. 49 व 37 चिपता हुआ है। मुरब्बा न. 37 के किला न. 1 ता 5 में मजूरशूदा रास्ता प्रार्थीगण के मु.न. 49 के किला न. 1 से चिपता हुआ है। इस कारण प्रार्थीगण का प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित नही होगा क्योंकि चिपता रकबा के लिए अलग से नया रास्ता स्वीकृत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आबादी से करीबन 6 मुरब्बा दूरी पर है। तथा मु.न. 37 का वैकल्पिक रास्ता महज 1 मुरब्बा दूरी पर है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

तहसीलदार श्री करणपुर की रिपोर्ट के अनुसार मु.न. 37 के उतर पश्चिमी कुंट में मु.न. 49 के किला न. 1 ता 12 व 13 आधा प्रार्थीगण का है। मु.न. 37 व 49 दोनो में ही प्रार्थीगण का रकबा है। मु.न. 37 में किला न. 1 ता 5 में मंजूरशुदा रास्ता है। प्रार्थीगण को अपने स्वंय के मु.न. 37 से मु.न. 49 में काश्त करने के लिए मु.न. 38 के किला न. 21 में से रास्ता दिया जा सकता है। जो चाहे गए रास्ते से निकटतम दुरी पर है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यो के विवेचन एवं तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने पर खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण को मु.न. 38 के किला न. 21 में से वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता जिन्हे प्रार्थीगण पक्षकार बनाकर अपना नया प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है। जो चाहे गए रास्ते की तुलना में कम दूरी पर है। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.16 17:21:36 IST
Reason: SelfAttested
Location: